<u>सीगा मुन्तकिली प्रकरण सं0 97/2020 (GCMS 2020/00253)</u> अनवानी धर्मपाल, शिशपाल, सुरेन्द्र कुमार पिसरान नेतराम जाति जाट निवासी रामसरा कुम्हारा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> <u>1.</u> सरपंच, ग्राम पंचायत सांवतसर जरिये सरपंच/सचिव **<u>2</u>. तहसीलदार** (राजस्व), रायसिंहनगर <u>3</u>. **सरोज पुत्री नेतराम <u>4</u>. सरस्वती पत्नी नेतराम** जाति जाट निवासी रामसरा कुम्हारान तह रायसिंहनगर व जिला श्रीगंगानगर

<u>18.01.2021</u>

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर उपस्थित हुए **और** फर्द अहकाम के हाशिये पर नॉट प्रैस (Not Press) अंकित कर निवेदन किया कि वे उक्त पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, इसलिए उनकी पत्रावली इसी आधार पर दाखिल दफ़्तर कर दी जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर के न्यायालय में लम्बित एक प्रकरण अनवानी सरपंच बनाम धर्मपाल वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था, अब चूंकि वह आगे इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी धर्मपाल वगै. द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:40 IST
Reason: SelfAttested

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official